न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री बृजमोहन बैरवा आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 77/2023/अपील/एलआरएक्ट/कोटा
दायरा दिनांकः 30.5.2023
अन्तर्गत धाराः 76 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

1. अनिता कुमारी पुत्री रामगोपाल जाति जैन निवासी धरनावद हाल खारीकुई के पास भानपुरा तहसील गरोठ जिला मंदसौर म0 प्र0 ।
2. कुसुम लता पुत्री रामगोपाल जाति जैन निवासी धरनावद हाल जैन मोहल्ला गरोठ जिला मंदसौर म0प्र0।
3. निर्मला पुत्री रामगोपाल जाति जैन निवासी धरनावद हाल केशवपुरा सेक्टर–7 कोटा
4. मधुलता पुत्री रामगोपाल जाति जैन निवासी धरनावद हाल नगदी बाजार बून्दी।

...अपीलांट्स

बनाम

1. श्रीमती रेखा जैन पत्नी पारस जैन
2. आरिन जैन आत्मज पारस जैन निवासीगण वार्ड नम्बर 1 खेराबाद रोड सुभाष कॉलोनी रामगंजमण्डी जिला कोटा

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री घनश्याम नागर अभिभाषक –अपीलांट्स
श्री रामबाबू मालव अभिभाषक –रेस्पोडेन्ट्स

::निर्णय::

दिनांक 8.5..2024

अपीलार्थीगण ने न्यायालय जिला कलक्टर कोटा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 67/20 (अपील) अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम बउनवान श्रीमती रेखा जेन वगेरा बनाम अनिता कुमारी आदि मे पारित निर्णय दिनांक 9.1.2023 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्ध द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 अपील के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है, कि ग्राम धरनावद तहसील रामगंजमण्डी मे खातेदार कमलाबाई का फौती नामा0 संख्या 427 दिनांक 15.2.2013 को कमला बाई के सभी वारिसान के नाम संभाग से स्वीकृत किये जाने की अप्रसन्नता से श्रीमती रेखा जेन आदि द्वारा नामा0 निरस्त कर प्रकरण पुनः सुनवाई कर निर्णय पारित करने हेतु रिमांड किये जाने का अनुरोध करते हुये प्रथम अपील राज0 भू राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालय मे पेश की गई। जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 9.1.2023 को स्वीकार कर अपीलाधीन नामा0 सं0 427 को निरस्त कर तहसीलदार रामगंजमण्डी को पक्षकारान को सुना जाकर नियमानुसार खातेदारो का हिस्सा दर्ज करने का आदेश पारित किया गया। प्रथम अपीलीय न्यायालय के उपरोक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 के अन्तर्गत द्वितीय अपील न्यायालय हाजा मे इस आशय की पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवायी व साक्ष्य का अवसर प्रदान नही करते हुये जेरअपील निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नही दिया कि अपीलांट की माता कमला बाई के स्वर्गवास बाद अपीलांट व रेस्पो0 एक मात्र वारिसान होने के कारण समभाग से इंतकाल तस्दीक करने का आदेश प्रदान किया गया जिसमे किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नही होने के बावजूद भी अपीलांट के वकील साहब उपस्थित नही होने के कारण अपील रेस्पो0 स्वीकार करली जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण एंव अवैधानिक है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान नही दिया कि पक्षकारो मध्य राज0 काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वाद जेरकार है तथा उक्त वाद मे सक्षम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी मे विभाजन के संबध मे जारी प्राथमिक डिक्री बहाल है तो भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत अपील करने का कोई औचित्य नही रहता है। उक्त तथ्यों को नजरअंदाज कर मियाद बाहर प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर जेरअपील निर्णय

पारित करने मे अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील निर्णय निरस्त करने की इस्तदुआ की गई।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवायी व साक्ष्य का अवसर प्रदान नही कर रेस्पो0 की अपील स्वीकार करने मे त्रुटि की है। नामा0 सं0 427 अपीलांट की माता कमला बाई के स्वर्गवास बाद अपीलांट व रेस्पो0 एक मात्र वारिसान होने से समभाग से तस्दीक करने का आदेश प्रदान किया जिसमे किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान नही दिया कि पक्षकारो मध्य राज0 काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वाद जेरकार है तथा उक्त वाद मे सक्षम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी मे विभाजन के संबध मे जारी प्राथमिक डिक्री बहाल है तो भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत अपील करने का कोई औचित्य नही होने से अपील पोषणीय नही थी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों को नजरअंदाज कर मियाद बाहर प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने मे त्रुटि की हे। अतः अपील स्वीरकार की जावे।

4 विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने अपनी बहस मे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होना जाहिर करते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा स्वीकृत नामा0 सं0 427 मे खातेदार का हिस्सा नही खोला गया है इस कारण नामा0 सं0 427 त्रुटिपूर्ण होने से अधीनस्थ न्यायालय ने निरस्त कर जांच करते हुये पक्षकारान. को सुना जाकर नियमानुसार खातेदारो का हिस्सा दर्ज करने का जेरअपील आदेश तहसीलदार रामगंजमण्डी को प्रदान किया है जिसमे किसी प्रकार का विधिक एंव तथ्यात्मक दोष नही है। अतः अपील खारिज की जावे।

5 हमने अपील एव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन किया। ग्राम धरनावद की वादग्रस्त आराजी के मूल खातेदार रामगोपाल पुत्र बालचंद की मृत्यु होने पर फौती नामा0 पुत्र पारस कुमार एंव बेवा कमलाबाई के नाम 1/2, 1/2 संभाग मे स्वीकृत किया गया जो जमाबंदी सं0 2056–2059 से स्पष्ट है। तत्पश्चात कमलाबाई के फौत हो जाने पर कमला बाई का फौती नामा0 सं0 427 दिनांक 15.2.2013 को स्वीकृत किया गया जिसमे पारस कुमार, निर्मालाबाई, कुसुमलता, मधुलता, अनिता कुमारी पुत्रियो के नाम रामगोपाल की सम्पूर्ण भूमि को समभाग मे बांटा गया है जबकि तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा जो फौती नामा0 सं0 427 स्वीकृत किया गया है वह कमला बाई के फौत होने पर स्वीकृत किया गया तथा कमलाबाई का 1/2 हिस्सा निहित था एंव 1/2 हिस्सा पारस कुमार का मुताबिक रिकार्ड दर्ज था। यदि रामगोपाल की उक्त पुत्रियो का नाम दर्ज किया जाना था तो यह इस नामा0 मे कमलाबाई के हिस्से मे कमलाबाई के सभी वारिसान को 1/5, 1/5 हिस्सा दर्ज करना था, जिसमे पारस कुमार 1/2 हिस्से के अलावा कमलाबाई के 1/2 हिस्से मे भी 1/5 हिस्सा अर्थात 7/10 हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है। तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा स्वीकृत नामा0 सं0 427 मे खातेदारान का हिस्सा नही खोला गया है अर्थात पारस कुमार का कितना हिस्सा दर्ज हुआ स्पष्ट नही होने से नामा0 त्रुटिपूर्ण मानते हुये अधीनस्थ न्यायालय ने नामा0 सं0 427 दिनांक 15.2.2013 निरस्त कर जांच करते हुये पक्षकारान को सुना जाकर नियमानुसार खातेदारो का हिस्सा दर्ज करने का जेरअपील निर्णय/आदेश दिनांक 9.1.2023 पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय मुताबिक राजस्व रिकार्ड न्यायोचित होने से हम निर्णय मे किसी प्रकार का विधिक एंव तथ्यात्मक दोष नही पाते है परिणाम स्वरूप उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती है।

6 निर्णय आज दिनांक 8.5.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(बृजमोहन बैरवा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
कोटा